

अङ्गीय प्रणाली

नेपाल मे सहभागितामूलक अविधान निर्माण
पोष्ठा शृङ्खला
२



संवैधानिक संवाद केन्द्र



प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहिला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित वा । सामग्रीके स्रोतके रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रहे साभार व्यक्त कैके गैरब्यावसायिक प्रायोजनके लग यी पोष्टाके अंश फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था करे सेकजाई । उ फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था कैलक एकप्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रहे उपलब्ध कराईकपरी ।

साजसज्जा ओ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिड, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।



थप जानकारी वा यी पोष्टाके लग तरक ठेगानामे सम्पर्क कैवी

संवैधानिक केन्द्र

तेसा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

सङ्घीय प्रणाली

शृंखला - २



सङ्घीय प्रणाली	१
परिचय	१
सहकार्यके महत्व	२
विवाद समाधान	३
सङ्घीय राज्यके राजनैतिक अर्थतन्त्र	३
सङ्घीय प्रणालीके स्थापना	४
नेपालमै सङ्घीयता	५
आधाश्रुत संवैधानिक विकल्प	६

सङ्घीय प्रणाली

नेपालके अन्तरिम संविधान-२०६३ के धारा १५९(१) नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहउइया वा कैहके घोषणा कैले वा लेकिन ओम्ने नेपालके सङ्घीयताके प्रकृति, संरचना ओ यकर अन्तर्गत व्यवस्था कैजैना निकायन्के बारेम विस्तृत रूपमे उल्लेख नै कै गैल हो । संविधानसभा यी सक्कु बातसम्बन्धी निर्णय कैके लावा संविधानमे समावेश करुइया वा ।

सङ्घीयता निम्नलिखित उद्देश्यसहितके एकठो राजनैतिक प्रणाली हो :

- » राज्यहे समावेशी बनैना,
- » सरकारहे जन्तन्के लगगे पुगैना ।

विश्वके २५ से फेन धेर मुलुकमे विविध प्रकृतिके सङ्घीय प्रणाली अस्तित्वमे वा । मेरमेरके महाद्वीपके मेरमेरके छोट ओ बर देशमे यी प्रणाली अङ्गीकार कैलक पाजाइठ ।^१

सङ्घीयतासे किल राज्य समावेशी हुइलक वा सरकार जन्तन्के लगगे हुइलक प्रत्याभूति करे नै सेकजाई कना बात बुभूना भर महत्वपूर्ण वा । राज्यके संरचना चाहे जैसिन हुइलेसे फेन यी लक्ष्यहे हासिल करक लग मानव अधिकार ओ सुशासनप्रति सम्मान करजाइठ ।

अपने मेरके सङ्घीयता अपनाइक लग नेपालहे सहयोग पुगैना छलफलहे सुसूचित कैना उद्देश्य सहितके यी परिचयात्मक पुस्तिकामे मननीय आधारभूत विकल्पके उपर फेन प्रकाश पारगैल वा ।

परिचय

नेपाल सङ्घीयता प्रणाली अपनैना निर्णय कै सेक्ले वा । । ओहेसे संविधानसभा नेपालके लाग कैसिन सङ्घीयता ठिक हुइ कना बारे छलफल कैके निर्णय करे पर्ना वा । इहे सन्दर्भमे विगतमे हासिल कैगैलक ज्ञान ओ अन्य सङ्घीय प्रणालीके अनुभवसे उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त करे सेकजाई ।^२

१ अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया ओ हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कमोरोस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सेन्ट किट्स ओ नेभिस, स्विट्जरल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ओ भेनेजुयला । कूछ देश (दक्षिण अफ्रिका ओ सुडान) मे सङ्घीय प्रणाली हुइले पर फेन गौतगात कारणसे ओइने यी शब्दावली प्रयोग भर नै कैठा । अन्य आउर देश (इराक ओ सुडान) सङ्घीय प्रणालीमे रूपान्तरित हुइना प्रक्रियामे बटा ।

२ सङ्घीयतासम्बन्धी प्रख्यात लेखक जर्ज एन्डरसनके किताब 'Federalism: An Introduction' (Oxford University Press, 2008) के नेपाली अनुवाद 'सङ्घीयता : एक परिचय' संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)से प्रकाशित कैगैल वा । अनुरोध कैलेसे उ किताब उपलब्ध हुइसेकठ ।

सङ्घीय राज्यमे सार्वभौमसत्ता ओ विधायिकी शक्ति **संवैधानिक रूपमे** केन्द्रीय/सङ्घीय प्रशासकीय निकाय ओ देशके निश्चित क्षेत्र ओगटना सङ्घीय राजनैतिक एकाइबीच बाँडफाँड कैगैल रही ।

ओइनुके अस्तित्व सङ्घीय संविधानसे तय कैगैल रहठ । उ सङ्घीय एकाइ राज्य, क्षेत्र वा प्रान्तहस मेरमेरके नाउंसे चिन्जाइठ । ओइने चाहे जौन नाउंसे चिन्हगैलेसे फेन ओकरे आधारमे विकेन्द्रीकरणके स्तर निर्धारण भर नै हुइठ, यकर निर्धारण संविधानमे जो हुइना आवश्यक बा ।

सङ्घीय राज्यम् शक्ति बाँटक लग बढ़िया प्रणाली एकठो किल नै हो । धेर सङ्घीय राज्यमे साभ्ना रूपमे पैना विशेषता भर धेर बा । केन्द्रीकृत सङ्घमे राज्य वा प्रान्तीय सरकारके शक्ति तुलनात्मक रूपमे साँकिर रहठ कलेसे विकेन्द्रीकृत सङ्घमे तरका तहके एकाइके अधिकार चाकल रहठ । सङ्घीयता एकात्मक राज्य प्रणालीसे फरक रहठ ओ यी प्रणालीमे उप-राष्ट्रीय संस्था केन्द्रीय सरकारसे अधिकार प्राप्त कलक ओसे ओइने केन्द्रके मातहतमे रहठाँ । धेरहस सङ्घमे सङ्घीय एकाइ पूरा रूपले सार्वभौम नै रहठ ओ सङ्घसे कानुनी रूपले अलग फेन नै हुई सेकठ ।

सहकार्यके महत्व

सङ्घीय संरचना कलक साभ्ना सरकारयुक्त प्रणाली हो । यी प्रणालीके सफलता इहीहे व्याख्या कैना **नियमके स्पष्टता** ओ धेर साभ्नेदारबीच **सहमतिके** स्तरमे निर्भर रहठ । विद्यमान केन्द्रीय ओ स्थानीय सरकार, राज्यके अन्य निकाय, राजनैतिक दल ओ सामाजिक/जातीय समूहके साथे वृहत्तर रूपमे सर्वसाधारणहे सहमतिये समेटल हुइपरठ ।

संविधान सरकारके मेरमेरके तहके **काम ओ अधिकारके** प्रत्याभूति करठ । संविधान संशोधनविना ओम्ने कौनो परिवर्तन सम्भव नैरहठ ।

सामान्यतया, कौनो निश्चित क्षेत्रमे संविधान अधिकार डेलक अवस्थामे संविधान तरका निकायउपर सङ्घीय संस्था ओ सङ्घीय कानुनके सर्वोच्चता हुउइया वा कना बात स्पष्ट रूपमे उल्लेख करठ । ऊ सर्वोच्चताहे सङ्घीय एकाइके अधिकार ओ स्रोतके स्तरके प्रत्याभूतिसंगे सन्तुलित कैगैल रहठ ओ इहीहे संविधान संशोधन कैके किल परिवर्तन करे सेक्जाइठ । कृछ देशमे सङ्घीय एकाइ अपन संविधान अङ्गीकार कैले रहठ ओ ऊ संविधान ऊ एकाइके संस्थाके कार्यसञ्चालनहे नियमन कर्ना ओ सङ्घीय संविधानसे देगैलक अधिकारहे पूरा वनैना काम कर्ती रहठ ।

सङ्घीय तह ओ तरका तहबीच अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी विषय मुख्यतया राष्ट्रके विधायिकी ओ प्रशासनिक कामसे सम्बन्धित रहठ । सङ्घीय एकाइके सरकार सङ्घके लग वा ओकर तरफसे काम

सञ्चालन कर्ती सङ्घीय कानून कार्यान्वयन कर्ती रहठ । सक्कु क्षेत्रक स्थानीय तहमे सङ्घके अपन कार्यान्वयनकारी संरचना नै हुइना हुईलक ओरसे अइसिन कैगैलक हो ।

विशेषकैके राष्ट्रिय मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिके अनुमोदन ओ राष्ट्रिय तहके पूर्वाधारसम्बन्धी योजना निर्माण एवं विकाससे सम्बन्धित मामिला केन्द्रीय सरकारके कानुनी अधिकारभित्त परठ । आधारभूत शिक्षा ओ स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय सुरक्षा ओ स्थानीय कर सङ्कलन सामान्यतया सङ्घीय एकाइके सरकारके कानुनी अधिकार ओ/वा प्रशासन अन्तर्गत परठ ।

कवु कवु सङ्घीय सरकार निश्चित मापदण्ड तय कैले रहठ । तरका तहके सरकार शिक्षा वा स्वास्थ्य वा अन्य विषयसम्बन्धी आपन नीति तर्जुमे कैना क्रममे उ मापदण्ड पालन करक पर्नाहुइठ ।

कवु कवु, कानून बनैना लावा क्षेत्र देखापरठ ओ ओकरवारेम् संविधानमे प्रष्ट रूपमे उल्लेख नै हुइल रहठ । ओइसिन विषयमे कौन तहके सरकार कानून बनैना हो कहना संविधानमे जो किटान हुइपरठ । कानुनी भाषामे इही अवशिष्ट अधिकार (**Residual Power**) कैहजाइठ । कुछ देशमे संविधान अवशिष्ट अधिकार केन्द्रीय सरकारहे डेले रहठ कलेसे कुछ देशके संविधान ऐसिन अवशिष्ट अधिकार स्थानीय (तरक) एकाइहे डेलेरहठ ।

विवाद समाधान


सङ्घसे सिर्जित एकाइके अधिकारभित्त कानून बनैना काम परठ वा नैपरठ कना विषयमे प्रत्येक सङ्घीय राज्यमे विवाद उब्जलरहठ । बहुटसे देशमे **संवैधानिक अदालत** ऐसिन विवाद समाधान करठ । आउर देशमे ऐसिन विवाद समाधान कैना जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतके कार्यक्षेत्रमे परठ । सङ्घीय प्रणालीके सञ्चालनके लाग सक्कु सरकार अदालतके निर्णय स्वीकरहीपरठ ।

सङ्घीय राज्यके राजनैतिक अर्थतन्त्र

संविधानसे निर्दिष्ट काम प्रभावकारी रूपमे कार्यान्वयन करक लाग केन्द्रीय ओ स्थानीय तहके एकाइहे समानुपातिक रूपमे स्रोतसाधन विनियोजन करेपरठ कहना पूर्वज्ञान सामान्यतः सङ्घीय संविधानहे रहठ । सङ्घीय एकाइके करसम्बन्धी स्वायत्तताके नियमन मेरमेरके ढाँचामे कैल रहठ । विभिन्न सङ्घीय एकाइबीचके सामाजिक ओ आर्थिक विकासके स्तर उल्लेख्य रूपमे छुट्टे हुइना

ओरसे देशभर समतामूलक आर्थिक ओ सामाजिक विकास सम्भव बनाइक लाग बहुटसे देश वित्तीय सङ्घीयता वा वित्तीय विकेन्द्रीकरणके व्यवस्था कैले रहठौं ।

मेरमेरके सङ्घीय ढाँचामे सरकारके मेरमेरके तहवीच हुइना स्रोत विनियोजन उल्लेख्य रूपमे फरक हुइसेकठ ।



चित्र १ : उपकेन्द्रीय सरकारके कर स्वायत्तता - तीनठो सङ्घीय राष्ट्रमे कूल कर राजस्वके प्रतिशतके रूपमे उपकेन्द्रीय तहमे उठलक कर राजस्वके प्रतिशत (सन् २००२) : सङ्घीय तह (गाढा करिया भाग); राज्य/क्षेत्र/प्रान्तीय तह (हल्का रङ्ग); स्थानीय तह ।

सङ्घीय प्रणालीके स्थापना

कवु कवु बहुजातीय, बहुभाषिक ओ बहुसांस्कृतिक देशमे विविधताहे स्वीकर्नाके साथे राष्ट्रिय पहिचान निर्माणके लाग सङ्घीयता अपनाइल पाजाइठ । कौनो देश आपन क्षेत्रीय पहिचानयुक्त समुदायहे सशक्तीकरण करक लाग ओ विविधता वा समावेशिताके लाग ठाँउ सिर्जना कैनासन्दर्भमे सङ्घीयता अक्केठो किल उपाय भर नैहो । आकुर उपाय शैक्षिक नीति, आर्थिक विकास, भाषिक नीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निर्वाचन प्रणालीमे प्रावधान, आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदि हुइसेकठ । सङ्घीय प्रणाली किल राज्यहे समावेशी बनाइठ कहना जरुरी नैहो ।

नेपालमे संविधानसभाके चुनाव करैना ओ अन्तरिम संविधान-२०६३ पारित करैनासमके क्रियाकलाप सरकारहे जन्तनके लगगे पुगैना चाहनासे आंशिक रूपमे उत्प्रेरित रहे । यकर ओरसे अपनहे निर्वाचित करैना जन्तनप्रति धेर उत्तरदायी हुइना, सीमान्तीकृत समूहनहे सशक्तीकरण कर्ना ओ सार्वजनिक मामिलामे वृहत्तर विविधता सिर्जना करक लग सरकारी अधिकारीनहे सहयोग पुगेसेकठ ।

नेपालके सङ्घीय संरचनाके लग तरका तहके एकाइके व्याख्या कैना क्रममे संविधान मस्यौदाकारहुके धेर पक्षमे ध्यान पुगाईपर्ना रहठ । ओइने जात, भाषा ओ जातिगत समूह, जनसाङ्ख्यिकी, भौगोलिक ओ सामाजिक-आर्थिक विषयके राजनैतिक/ऐतिहासिक सन्दर्भ ओ प्राकृतिक स्रोतउपर ध्यान पुगाईक पर्ना रहठ ।

मेर मेरके सङ्घीय देशमे सङ्घीय एकाइके आकार, सङ्ख्या ओ अनुपात मेर मेरके रहठ । संविधानसे निर्धारित जिम्मेवारी कार्यान्वयन करक लग तरका तहके एकाइक्ठेन पर्याप्त स्रोतसाधन हुइक परठ । सम्पूर्ण सङ्घीय राज्य धिरे धिरे सङ्घीय एकाइके सङ्ख्या ओ आकार ओ सरकारके विभिन्न तहबीचके सम्बन्धमे परिवर्तन हुइलक अनुभव कर्ठा । बुद्धिमत्तापूर्वक बनैलक सङ्घीय प्रणाली समग्र प्रणालीभित्तर कुछ हदसमके लचकता ओ व्यवस्थित परिवर्तनहे स्वीकरले रहठ ।

नेपालमे सङ्घीयता

शाताब्दियौसे नेपालमे एकात्मक ओ केन्द्रीकृत शासन पद्धति वा । अभिनसम राष्ट्रके आधारभूत संरचनामे उल्लेख्य परिवर्तन कैनाओर प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रिया अग्रसर नै हुइलक देखजाइठ । सङ्घीय संरचना अवलम्बन ओ परम्परासे सारभूत रूपमे फरक डगर लेना देखजाइठ ।

केन्द्रीय सरकार परम्परागत रूपमे देशभरके एकठो एकाइके रूपमे शासन कर्ती आइल रहे । देशहे विकास क्षेत्र, अञ्चल ओ जिल्लामे विभाजन कैगैलक हुइलेसे फेन उ सक्कु केन्द्रीय सरकारके एकलौटी अधिकारभित्तर वा । उ एकाइ स्वतन्त्र वा स्वायत्त हैसियत नै हैठा । क्षेत्र ओ अञ्चल स्तरके निर्वाचन नै हुइठ । स्थानीय निकायहे कानुनी हैसियतप्राप्त निकायके रूपमे बनागैलेसे फेन ओइनेके अपने कौनो अधिकार नै हुइन् । उ निकायनहे केन्द्रसे अधिकार प्रत्यायोजन करजाइठ । ऊ अधिकार कौनो संवैधानिक प्रत्याभूतिके आधारमे उ निकाय निहित नैरहठ । केन्द्रीय सरकार क्षेत्र, अञ्चल ओ जिल्लाके अधिकार वहैना, घटैना वा खारेज करेसेकठ ।

संविधानसभा अन्धोधन कटे पर्ना कुछ विषय

- » सङ्घीय एकाइके अधिकार ओ जिम्मेवारीहे परिभाषित करे पर्ना;
- » संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहके लग आवश्यक स्रोतसाधन प्रत्येक एकाइसे हुइलक सुनिश्चित करे पर्ना;
- » देशके सक्कु जन्तनके आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्रता ओ सुरक्षाके प्रत्याभूति ओ संरक्षण करे सेक्ना सङ्घीय संरचना बनाईपर्ना;
- » नेपालके विविधतायुक्त सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमिके आधारमे सङ्घीय संरचना बनाईपर्ना;

- » सङ्घीय तह ओ तरक एकाइ दुनुमे सीमान्तीकृत समुदायके समावेशीकरणहे प्रवर्द्धन कैना सङ्घीय संरचना बनाईपर्ना;
- » आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित ओ (महिलन्) जन्नीन् के अधिकारके प्रत्याभूति हुईपर्ना;
- » अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति समूह ('अल्पसङ्ख्यकभित्तरेके अल्पसङ्ख्यक') के अधिकारहे संरक्षण करहीपर्ना;
- » सङ्घीय संरचनामे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनके लग सहि नमुनकबारेम् निर्णय करेपर्ना;
- » राष्ट्रिय स्तरमे सङ्घीय एकाइके दृष्टिकोणके प्रतिनिधित्व करैना सङ्घीय विधायिकामे उपरक सदनसहितके दुई सदनात्मक प्रणाली स्थापना कैना बारेम विचार करहीपर्ना;
- » संवैधानिक विवाद निरूपण कैना स्वतन्त्र, सक्षम ओ प्रभावकारी न्यायिक संयन्त्र स्थापना करहीपर्ना;
- » अन्तर-सरकारी सम्बन्ध, ओइनके कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रिया ओ अन्तर-निकाय अङ्गमे सहयोग पुगैना तरिकाबारे विचार करेपर्ना ।

आधाटभूत संवैधानिक विकल्प

सङ्घीय संरचनाक कुछ आधारभूत विकल्प यहाँ प्रस्तुत कैगैल बा लेकिन ऊ न विस्तृत बा न ते एक डोसरसे फरक बा । नेपाल अन्त्यमे सक्कु सान्दर्भिक विषयवस्तुहे ध्यानमे ढैना एकठो मिश्रित प्रणाली अवलम्बन करेपर्ना बा ।

सङ्घीय प्रणाली समयसँगसँगै परिपक्व हुइटी जाइठ । नेपाल सङ्घीय परम्पराके कौनो अनुभव नै कैले हो ओ यी अभिन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीके लग क्षमता विकास कैना क्रममे बा । ओहेसे सङ्घीय संरचना अवलम्बन कैसेक्लेसे समाधान करे पर्ना धेर मुद्दा स्वाभाविक रूपम आगे आई । प्रारम्भिक चरणमे मेर मेरके विषयसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया ओ कार्यान्वयन प्रक्रियामे देखापरे सेक्ना समस्याके पूर्वानुमान करेपरठ । ओस्टक नन्हे, आर्थिक स्रोत ओ विकासके अवसरमे असमानता, जातीय अधिकार मँगटी रहलक समूहबीचके असमभदारी, विभाजन ओ विखण्डनके आवाज (बोल) प्रमुख चुनौती हुइसेकठ ।

सङ्घीय प्रणालीके सफल सञ्चालनके आधार लोकतन्त्र, विधिके शासन ओ मानव अधिकार हो कना बात बुभना सक्कुहुनके लग महत्वपूर्ण बा ।

क) शक्ति बाँडफाँडसम्बन्धी मुद्दा

विकल्प	सबल पक्ष/लाभ	चुनौती
१) सशक्त केन्द्रीय सरकार	<ul style="list-style-type: none"> » सहजिल निर्णय प्रक्रिया » केन्द्र सक्कु निकायहे समान व्यवहार/संरक्षण प्रदान करेसेक्ना, » निकायहे निरन्तर केन्द्रीय सहयोग, » विकास क्रियाकलापके आवश्यकता अनुसार अभिन धेर शक्ति निक्षेपणके सम्भावना, » विखण्डनविरुद्ध संरक्षण । 	<ul style="list-style-type: none"> » केन्द्रीय सरकारसे हस्तक्षेपके सम्भावनाले एकाइ त्रसित हुइसे कठ, » पहिचानके अतृप्त आकाङ्क्षाके कारण समुदायबीच लावा तनाव सिर्जना हुइसेकठ, » सरकार जनतासे दूरे रहना बात निरन्तरता पाई सेकठ ।
२) सशक्त तरका तहके सरकार	<ul style="list-style-type: none"> » पहिचानसम्बन्धी आकाङ्क्षा पूरा हुइना, » अपन मतदातनूप्रति स्थानीय सरकारके बढ्ती रहलक उत्तर दायित्व, » सरकार जनतासे ढेर लगे । 	<ul style="list-style-type: none"> » स्थानीय आभिजात्य वर्गके उदयसे एकाइमे रहलक अल्पसङ्ख्यक जोखिममे परेसेकठ, » क्षेत्र/प्रान्तमे कानून/मापदण्डके असमान कार्यान्वयन ।
३) सहयोगात्मक सङ्घीयता	<ul style="list-style-type: none"> » केन्द्र ओ एकाइ सरकारबीच बलगर पारस्परिक सहकार्य, » संयुक्त आयोजना वा विकास प्रक्रियाहे आगे बढ्ना सम्भावना, » केन्द्रके निरन्तर सहयोग । 	<ul style="list-style-type: none"> » केन्द्रीय सरकारके शक्ति बढ्ती लैजना आकाङ्क्षा, » परनिर्भरता बढ्ना सम्भावना ।
४) तरका तहके एकाइहे समान अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> » समान स्तरमे स्वशासन ओ स्वायत्तताके अधिकार, » ऐतिहासिक वा सामाजिक पृष्ठभूमिके आधारमे कौनो फेन एकाइहे भेदभाव नै कैना, » समानताके आधार । 	<ul style="list-style-type: none"> » आर्थिक ओ सामाजिक स्थिति कमजोर हुइलक अविकसित दुर्गम क्षेत्रमे अभिन धेर बोझ परेसेकठ ।
५) तरका तहके एकाइहे विविध अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> » एकाइहे ओइनके स्थिति, आवश्यकता ओ सहमतिके आधारमे शक्ति निक्षेपीकरण वा बाँडफाँड, » योग्यता ओ क्षमताके कदर । 	<ul style="list-style-type: none"> » केन्द्रीय सरकार एकदम बलार हुइती जैना सम्भावना, » राजनीतिक शक्ति कम हुइलक प्रान्त केन्द्रसे समान स्तरमे वार्ता करे नै सेक्ना ।

ख) जाति, भूगोल ओ स्रोतसाधनसम्बन्धी मुद्दा

विकल्प	सबल पक्ष/लाभ	चुनौती
१) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति वा पहिचानमे आधारित सङ्घीयता	<ul style="list-style-type: none"> » सक्कु जातजाति, भाषा, धर्म ओ संस्कृतिके पहिचानप्रति सम्मान, » अल्पसङ्ख्यकहे बहिष्कृत वा सीमान्तीकृत नै कैजैना, » स्थानीय स्रोतसाधनउपर स्थानीय जनताके अधिकार । 	<ul style="list-style-type: none"> » साम्प्रदायिक विरोध हुइना सम्भावना, » पृथक्ताके मागसंगे राष्ट्र विखण्डन हुई सेक्ना खतरा, » एकाइभित्तरेके अल्पसङ्ख्यकन् बीच असन्तुष्टिके सम्भावना ।
२) भौगोलिक निश्चितता, आर्थिक विकासके सम्भाव्यता ओ प्राकृतिक स्रोतके वितरणमे आधारित	<ul style="list-style-type: none"> » स्थानीय स्रोतउपर स्थानीय जन्तनके अधिकार धेर सुनिश्चित हुईसेक्ना, » आर्थिक विकासके धेर सम्भावना, » विद्यमान संरचनाके निरन्तरता । 	<ul style="list-style-type: none"> » एकाइबीच स्रोतसाधनके विद्यमान अन्तरसे असमानता अभिन मौलाईसेक्ना, » अल्पसङ्ख्यक बहिष्कृत वा सीमान्तीकृत हुइना सम्भावना, » जातीय/भाषिक पहिचानके मुद्दाहे सम्बोधन करे नैसेक्जैना ।
३) विकल्प (१) ओ (२) के संयोजन	<ul style="list-style-type: none"> » जातीय ओ अपन पहिचानहे मुद्दा बनैलक समुदायके आकाङ्क्षा ओ सामाजिक-आर्थिक यथार्थ ओ सीमाबीच सन्तुलनमे ढैना । 	<ul style="list-style-type: none"> » कौनो फेन समुदायहे नै अलवाके वा कौनो अव्यावहारिक राज्य संरचना नै बनाके जो उचित सन्तुलन खोज्ना ।

पोष्टक-शृङ्खलाक धाटेम

संविधानसभक सदस्य तथा इच्छुक सर्वसाधारणहे संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत जानकारी उपलब्ध करैना जो यी पोष्टा-शृङ्खलाके उद्देश्य हुइस । यी प्रकाशन संवैधानिक परिणामबारे कौनो फेन मेरसे पूर्वानुमान कैना अवधारणापत्र वा प्रस्ताव वा मनसाय नै हो । यी शृङ्खला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) के 'नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणके लग सहयोग' (एसपीसीवीएन) परियोजनाके समन्वयमे नेपाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविदन्के सामूहिक प्रयासके प्रतिफल हो ।

यी पोष्टाहे अभिन परिस्कृत बनाइक लग प्रतिक्रिया ओ टिप्पणीके लग विशेष अनुरोध बा । धेर से धेर सुसूचित, प्रतिबद्ध ओ रचनात्मक छलफलहे प्रोत्साहित कर्ना यी प्रकाशन सफल हुइलेसे किल अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुई । मित्तक टिप्पणीके आधारमे यी पोष्टाके लावा ओ फादिल संस्करण तयार करे सेकजाई ।

यी शृङ्खलाहे नेपालके कुछ मुख्य राष्ट्रभाषामे उल्था कैना क्रममे उच्च गुणस्तर कायम कैना ओ सम्बन्धित भाषक बहुसंख्यक मनै बुझना सही शब्द प्रयोग कैना हरसम्भव प्रयास कै गैल बा । शब्दावलीके उपयुक्त ओ सही प्रयोगबारे मेरमेरके भाषिक समुदायन्के विच भविष्यमे छलफल ओ बहस हुइना अपेक्षा करे सेकजाई । संवैधानिक संवाद केन्द्रके उद्देश्य ओइसिन बहसहे कौनो फेन मेरके छाँहीम नै पर्ना कि उ भाषाहे फेन समावेश कैके यी प्रयासमे समावेश कैके ओ पहुँचके अधिकतम बृद्धि कैना हो ।

देशमे संविधान निर्माणसँगे सान्दर्भिक विषयवस्तुबारेम संवैधानिक संवाद केन्द्रक तयार करे जैटी रलक शृङ्खलाबद्ध पाठ्यसामग्रीके एकठो अंश यी पोष्ठा हो ।

सभासदन्से लेके यी विषयवस्तुमे चासो हैना सर्वसाधारणहे प्रमुख संवैधानिक अवधारणा ओ मुद्दामे सामिल करैना यी शृङ्खलाबद्ध प्रकाशनके उद्देश्य हो । शृङ्खला अन्तरगतके प्रत्येक पोष्ठा नेपालमे बोल्ना मुख्य भाषा (नेपाली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामाङ, नेवार) ओ अंग्रेजी भाषामे उपलब्ध बा । यी पाठ्यसामग्रीक श्रव्य संस्करण (क्यासेट, डीभीडी) फेन उपलब्ध बा ओ इहीहे अनलाइनमे फेन है गैल बा ।

पहिला चरणमे यी प्रकाशन शृङ्खलामे समेटगैल विषयवस्तु यी मेरके बा : राज्य ओ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिन्के अधिकार, अल्पसंख्यकके अधिकार, सरकारके प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता ओ सामाजिक समावेशीकरण ओ सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसा तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

